सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-6745/MH/714/2025-RO-BH/RU-I **दिनांक: 20.07.2026**

जिला कलेक्टर,
जिला-नाशिक,
कलेक्टर कार्यालय,
ओल्ड आगरा रोड,
नाशिक-422002, महाराष्ट्र
ई-मेल: collector.nashik@maharashtra.gov.in

विषय: अनावेदकों द्वारा आवेदक की भूमि पर कब्जा किए जाने के संबंध में श्री नवनाथ लक्ष्मण डंबाले, गांव- महादेवपुर, तालुका व जिला-नाशिक, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 23.12.2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 15.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री नवनाथ लक्ष्मण डंबाले,
गांव- महादेवपुर,
तालुका व जिला-नाशिक, महाराष्ट्र

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-6745/MH/714/2025-RO-BH/RU-I
अनुसंधान इकाई : अनुसंधान इकाई-I

श्री नवनाथ लक्ष्मण डंबाले द्वारा आदिवासी भूमि पर कथित अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से भूमि हस्तांतरण तथा अनुसूचित जनजाति परिवार के अधिकारों के हनन संबंधी अभ्यावेदन पर दिनांक 15.06.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक : 15.06.2026
अध्यक्षता : माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को श्री नवनाथ लक्ष्मण डंबाले, निवासी ग्राम महादेवपुर, जिला नाशिक (महाराष्ट्र) से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अनावेदकों द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव का उपयोग करते हुए आदिवासी भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार उक्त भूमि अनुसूचित जनजाति परिवार की है तथा महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 36 एवं 36A के अंतर्गत संरक्षित भूमि है।

अभ्यावेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2012 में कथित रूप से धोखे से "कन्सेंट टर्म" करवाई गई तथा वर्ष 2013 में बिनकब्जा साठेखत करारनामा निष्पादित कर भूमि हड़पने का प्रयास किया गया। याचिकाकर्ता ने भूमि की पुनर्बहाली एवं दोषियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की मांग की है।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

आयोग द्वारा दिनांक 19.01.2026 को जिला कलेक्टर, नाशिक को नोटिस जारी किया गया था। किन्तु सुनवाई की तिथि तक आयोग को कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण में पूर्व में कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई थी।

6. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, नाशिक की ओर से श्री पंकज पवार उपस्थित हुए तथा विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया। अभ्यावेदक अथवा उनकी ओर से कोई प्रतिनिधि सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

उपस्थित अधिकारी द्वारा आयोग को अवगत कराया गया है कि प्रकरण की जांच तहसीलदार, नाशिक एवं मंडल अधिकारी, गिरनारे के माध्यम से कराई गई तथा जांच के दौरान याचिकाकर्ता एवं अन्य पक्षों के कथनों, पंचनामा एवं उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया।

आयोग ने यह अवलोकन किया कि प्रकरण के संबंध में अब तक कोई ठोस अथवा सकारात्मक प्रगति नहीं हुई है तथा याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मूल मुद्दों के समाधान हेतु प्रभावी कार्यवाही परिलक्षित नहीं होती है।

7. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. आयोग अनुशंसा करता है कि अनुसूचित जनजाति की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटाते हुए भूमि का कब्जा विधिसम्मत रूप से मूल आदिवासी भूमिस्वामी को दिलाया जाए।

2. अनुसूचित जनजाति के भूमि अधिकारों के हनन, अवैध कब्जा, धमकी अथवा अन्य अपराध के तत्व हेतु संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

3. आयोग याचिकाकर्ता को भी अनुशंसा करता है कि वह उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों सहित सक्षम उपखण्ड अधिकारी (SDM) के समक्ष विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित आवेदन/अपील प्रस्तुत करे।

4. उपर्युक्त बिंदुओं पर की गई कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन 30 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत किया जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

//

****

फाइल. स. NCST/DEV-6745/MH/714/2025-RO-BH/RU-I

दिनांक: 15.06.2026

विषय: अनावेदकों द्वारा आवेदक की भूमि पर कब्जा किए जाने के संबंध में श्री नवनाथ लक्ष्मण डंबाले, गांव- महादेवपुर, तालुका व जिला-नाशिक, महाराष्ट्र से प्राप्त दिनांक 23.12.2025 का अभ्यावेदन के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 15.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कान्त	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4	श्री तिलका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

जिला कलेक्टर, जिला-नाशिक,

कलेक्टर कार्यालय, ओल्ड आगरा रोड, नाशिक-422002, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	पंकज पवार	तहसिलदार नाशिक	9922590653	[signature]
2				
3				
4				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				